



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249948
CG-DL-E-08112023-249948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945

No. 280]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

आयुष मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली 7 नवम्बर, 2023

फा. सं. ए.11019/05/2016-एचपीसी (भाग 1).—आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने धन्वंतरी जयंती (धनतेरस) के दिन हर साल "आयुर्वेद दिवस" मनाए जाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार करने और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश में हितधारकों द्वारा विभिन्न गतिविधियां शुरू की जाएंगी।

2. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इस दिवस पर प्रख्यात वैद्यों और आयुर्वेद विशेषज्ञों को पुरस्कृत करने के लिए "राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार" की संस्थापना की है ताकि उन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु इसकी सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस संबंध में, आयुष मंत्रालय द्वारा पुरस्कार हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश भी स्थापित किए गए हैं:-

पुरस्कार का शीर्षक	ब्यौरा
राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार	प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी (धन्वंतरी मूर्ति) और पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार।

लक्ष्य:

प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। ये पुरस्कार आयुर्वेद में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रेरित करने में मदद करेंगे।

पात्रता मानदंडः

कार्य-क्षेत्र	राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान या राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने और उसके एकीकरण के लिए शिक्षण या अनुसंधान और विकास या नीति और आयोजना, लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ आयुर्वेद को जोड़ना।
कार्या वधि	प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक जो कम से कम बीस साल का पेशेवर अनुभव रखते हों।
क्षेत्र या सामाजिक प्रभाव	आयुर्वेद पेशेवरों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में किए गए कार्यों का समाज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होना चाहिए।
आयु	चालीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
शैक्षिक योग्यता	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970, जो भी लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में डिग्री पुरस्कार के लिए पात्र होगी।
पिछले पुरस्कार विजेताओं पर विचार किया जाएगा या नहीं	पिछले पुरस्कार विजेताओं पर उसी पुरस्कार के लिए दूसरी बार विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कारों की प्रकृति और संख्या:

प्रति वर्ष तीन पुरस्कार दिए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया:

चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

- (i) सचिव, आयुष मंत्रालय - अध्यक्ष
- (ii) सचिव द्वारा नामित तीन आयुर्वेद विशेषज्ञ - सदस्य

चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का एक पैनल तैयार किया जाएगा और अंतिम चयन माननीय आयुष मंत्री द्वारा किया जाएगा।

चयन समिति राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (<http://awards.gov.in>) पर अपलोड किए गए निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित करेगी। चयन समिति पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी।

पुरस्कार प्रदान करना:

यह पुरस्कार धन्वंतरी जयंती (धनतेरस) पर मनाए जाने वाले वार्षिक "आयुर्वेद दिवस" के अवसर पर प्रदान किया जाएगा और पुरस्कार विजेताओं के नाम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

इस संकल्प को दिनांक 01 जून, 2017 (एफ. सं. 11019/05/2016-(एचपीसी) के पूर्व संकल्प के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

बिश्वजीत कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH**RESOLUTION**

New Delhi, the 7th November, 2023

F. No. A.11019/05/2016-HPC (Pt 1).—The Ministry of Ayush, Government of India has decided to celebrate "Ayurveda Day" every year on the day of Dhanwantri Jayanti (Dhanteras). Various activities shall be undertaken by the stake holders throughout the Country for promotion, propagation and popularisation of Ayurveda.

2. The Ministry of Ayush, Government of India has instituted “National Dhanwantri Ayurveda Award” to be conferred on this day of eminent Vaidyas and Ayurveda experts to motivate them to adopt best practices of Ayurveda in pursuit of excellence and has established the following guidelines governing the award, in this behalf :-

Title of the Award	Details
National Dhanwantari Ayurveda Award	Citation, Trophy (Dhanwantari Statue) and Cash reward of Rupees five lakh.

Purpose:

To encourage excellence through competition. These awards would help to promote and motivate adoption of best practices in the pursuit of excellence in Ayurveda.

Eligibility Criteria Parameters:

Scope of Work	Significant contribution in the field of Ayurveda in terms of promotion and propagation of Ayurveda at National or International Level or Teaching or Research and development or Policy and planning for Ayurveda promotion and integration at National level, integration of Ayurveda in various National Health Programs benefiting people at large scale etc.
Tenure and Longevity	Renowned Ayurvedic practitioners with minimum twenty years professional experience.
Field or Social Impact	The Ayurveda professionals should have direct or indirect impact on the society through work in the field of Ayurveda at the national and international level.
Age	Not less than forty years.
Educational Qualification	A Degree in Ayurveda recognised as per the provisions of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 or The Indian Medicine Central Council Act, 1970 as applicable would be eligible for the award.
Past awardees considered or not	Past awardees will not be considered for second time for the same award.

Nature and Number of Awards:

There shall be three awards to be given annually.

Method of Selection:

The Selection Committee shall have the following composition as given below:-

- (i) Secretary, Ministry of Ayush ; - Chairman;
(ii) Three Ayurveda experts to be nominated by the Secretary - Members.

A panel of awardees would be prepared by the selection committee for final selection by the Hon'ble Minister of Ayush.

The Selection Committee will invite online nominations in the prescribed format uploaded on the National Awards Portal (<http://awards.gov.in>). The Selection Committee will devise its own procedure to select the awardees.

Presentation of Award:

The award shall be presented at the time of Annual “Ayurveda Day” to be celebrated on Dhanwantari Jayanti (Dhanteras) and the names of awardees shall be published in the Official Gazette.

This Resolution is issued in supersession of earlier Resolution dated 1st June, 2017 (F.No.11019/05/2016-(HPC).

BISHWAJIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.